Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

'आत्मनिर्भर महिला एवं घरेलू हिंसा

डॉ. कल्पना यादव
एसोसिएट प्रॉफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
आर्यकन्या डिग्री कॉलेज, झाँसी

आज भारतीय नारी घर और बाहर दोनों ओर नए समीकरण रचने एवं अपार संभावनाओं के रूप में अवतरित हुई है। दृढ़ संकल्पता, एकाग्रता, आत्मचिंतन कुछ कर गुजरने की ललक, शिखर तक पहुँचने की उपेक्षा उमंग और इसके साथ ही निर्मल निश्छल मन व आंतरिक मृदुता उसकी सफलता के ठोस आधार है। आज जबकि परिस्थिति उनके अनुकूल है 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिल भी पेश कर दिया गया, पुरुष प्रधान विहीन सामाजिक व्यवस्था की मांग भी जोर शोर से की जा रही है। यदि यह आरक्षण बिल पास हो जाता है, तो निश्चित ही नारी उत्थान की दिशा में यह क्रान्तिकारी कदम सिद्ध होगा।

किन्तु विडम्बना यह है कि जैसे–जैसे समाज में नारी स्वतंत्रता और उन्मुक्त आधुनिकीकरण का वातावरण बढ़ता जा रहा है, वैसे व्यक्ति की पाशविक वृत्तियां और अधिक भयंकर रूप धारण करती जा रही हैं। एक समय था जब राजनीति में अपराधियों के संरक्षण पर चिंता व्यक्त की जाती थी दोनों को एक दूसरे से अलग करने की बात की जाती थी। हालांकि इस दिशा में आज भी प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु वे कारगार सिद्ध नहीं हो रहे हैं। आज जबकि राजनीति अपराधी बन गई है और अपराध राजनीति का आश्रय लेकर फलने–फूलने लगा, राजनीति के इस अपराधीकरण ने हमारी मान्यताओं, मर्यादाओं को निरंतर विषाक्त किया है, अनैतिकता, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अपहरण, फिरौती, जोर जबर्दस्ती बेईमानी आदि असामाजिक तत्व राजनीति की छत्रछाया में फल–फूल रहे हैं, आज मासूम किलकारी भरती बच्ची से लेकर 85 वर्ष की वृद्धा तक इन असमाजिक तत्वों की शिकार हुई हैं। आज राजनीति में आने का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि सभी प्रकार की बुराइयों को खुले आम अंजाम देने का लाईसेंस उन्हें मिल चुका है। इसलिए राजनीति का अर्थ आज क्षेत्र की विशेष की बुराइयों के लिए लगाया जाने लगा है और दिनोंदिन यह शब्द विकृत होता चला जा रहा है। आज राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति की वृद्धि तेजी से हो रही है जो कि महिलाओं की संख्या में भी कमी करती जा रही है। यह हमारे राष्ट्र व समाज के लिए घातक है।

विगत कुछ वर्षो में न केवल नारी उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं वरन् उनकी हत्या कर देने के सनसनी खेज मामले भी सामने आए हैं, इसमें सत्ता में संरक्षण प्राप्त लोग, गंभीर अपराधिक प्रवृत्ति के बड़े लोग मंत्री या उनके बेटे भी लिप्त पाए गए हैं। अगस्त 1990 में 15 वर्षीय छात्रा ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, 1995 में एक कांग्रेसी कार्यकता ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे तंदूर में डाल कर जला दिया, 1999 में शिंवानी भटनागर हत्याकांड रहस्यमय षडयंत्र का उदाहरण बन गया है, 1999 में एक मॉडल को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने शराब परोसने से मना कर दिया था, 2000 में टी.वी. प्रोड्यूसर की पत्नी को छुरा घोंप दिया गया, 2003 में पंजाब के मुख्यमंत्री की चचेरी बहन को शिमला में गोली मार दी गई, कुछ वर्ष पूर्व उ.प्र. में कवयित्री मधुमिता हत्याकांड उत्तरांचल में भी कुवारी मां बनी महिला ने एक मंत्री को अपने बच्चे का पिता कहा है, गुजरात के कालगर्ल रैकेट में पंजाब के दो मंत्रियों को लिप्त पाया गया है, हाल ही में कांग्रेस के एक नेता पर अपनी पत्नि को आत्म हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये सभी मामले आज न्याय का इंतजार कर रहे हैं देखना यह है कि इन्हें न्याय

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

मिलता है या वे सभी मामले राजनैतिक संरक्षण एवं विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के दबाबों के कारण मात्र इतिहास बन कर रह जाएंगे।

कुछ माह पूर्व गृह मंत्रीजी ने यह हवाई घोषणा की थी कि उनकी सरकार बलात्कार के अपराधियों को मृत्युदंड देने का कानून बनाएगी। सर्वोच्च न्यायालय कई बार यह कह चुका है कि मृत्युदंड सिर्फ हत्या के दुर्लभतम में से दुर्लभ मामलों में ही दिया जाना चाहिए। ''सहमति'' और ''बदचलनी'' के कानूनी हथियारों का क्या होगा? बलात्कार के अपराधियों को सजा–ए–मौत देने का कानून सरकार बनाएगी। कैसे? कब? जबकि दुनिया भर में मृत्युदंड समाप्त करने की बहस और मानवाधिकारों का शोर है।

भारतीय राजनैतिक न्यायिक विरासत में स्त्रियों की दशा सदैव दोयम दर्जे की निष्पत्तियों से संचालित होती रही है ''जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है'' यह सैद्धांतिक ढोल हम पीटते रहे, पर इस ढोल की पोल खोलने वाले, अनेक दिल दहला देने वाले सिद्धांतों, विचारों और व्यवहारों ने भारतीय राजनीति को जिन अप्रिय सच्चाइयों से रू–ब–रू कराया, उनकी बानगी से भी हम भली भाँति परिचित होते रहे हैं। स्वतंत्र भारत में हालांकि बहुत प्रयास किए गए कि लोकतांत्रित सजगता के आलोक में स्त्री संवैधानिक धाराओं के आलोक में भी स्त्री दुर्दशा के अनेक दुखांतकों के निर्मम दुःस्वप्न घटे, संवैधानिक परिदृश्य नारी संबंधी कानूनों की जो स्थिति प्रस्तुत करता है उसे मौटे तौर पर हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं।

पहली वह जो पारंपरिक समाज में स्त्री–पुरूष समानता की पक्षधरता से प्रेरित कानूनों की श्रृंखला है और दूसरी वह जो आधुनिक नागरिक समाज में स्त्री की स्वायत्तता, की पक्षधर कानूनी धारणाएँ हैं, पहली श्रेणी में विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार हिन्दू विवाह, हिन्दू उत्तराधिकार दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम आदि रखे जा सकते हैं। वेश्यावृत्ति दमन कानून या बलात्कार या घरेलू हिंसा से निपटने के लिए पुराने कानूनों के किए गए संशोधनों में भी अपराध की आधुनिक स्थितियों से निपटने की कोशिश साफ दिखाई देती है।

बीते कुछ वर्षों में अपराध व हिंसा की शिकार स्त्रियों के प्रतिशत में पिछले कुछ सालों में वृद्धि हुयी है जो समाज के लिए चिन्ता का विषय है। आज भी स्त्री के प्रति तमाम प्रकार के अपराध होते रहते हैं जैसे दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, अपहरण, भ्रूण हत्या, लैंगिक दुर्व्यवहार, बलात्कार इत्यादि। घरेलू हिंसा से तात्पर्य घर गष्हस्थी के अन्दर महिला के साथ किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। महिलाओं के प्रति अन्य आपराधिक हिंसाओं में पढ़ाई लिखाई के बावजूद वषद्धि हो रही है। तमाम कानूनों के बावजूद भी दहेज प्रथा का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि कानून के बल कागजों तक सीमित है और इसे चलाने वाले पौराणिक विचारधारा के लोग हैं वे आसानी से पुरुष को सजा पाते नहीं देखना चाहते हैं और महिला से अपने आपको श्रेष्ठ समझते हैं। जिस समाज में कन्या भ्रूण हत्या आम हो और उस में औरत स्वयं एवं उसके मातापिता भी शामिल हों वहां औरतों के प्रति हिंसा तो आम है ही। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के सर्वे में पाया गया कि लगभग 56 प्रतिशत औरतों को शारीरिक या मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ा। जो महिलायें शिक्षित भी हैं वे भी घरेलू हिंसा से मुक्त नहीं हैं क्योंकि पति जानता है कि कमाऊ होने के वावजूद भी महिला के पास कोई और ठिकाना नहीं है।

तरह तरह की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं ने तेजी से आत्मनिर्भता की ओर कदम बढ़ाये हैं। कुछ ने खुद कोई उत्पाद बनाकर बेचना शुरु किया तो किसी ने आटो तक चलाना शुरु कर दिया है। फैशन डिजाइनिंग, कम्प्यूटर आपरेटर, घरेलू उत्पाद इत्यादि अनेकों कार्यों में अपने को दक्ष बनाने लगी हैं।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

शासन द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं को महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम उढ़ाये जा रहे हैं। शासन की तरफ से आयोजित मेलों में इन महिलाओं को स्टाल लगाकर अपने उत्पाद बेचने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाये तो वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती हैं। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देना एवं उन्हें स्वरोजगार के लिये प्रेरित करना शासन की प्राथमिकता में है और इन्हीं को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाओं का संचालन सरकार की ओर से किया जा रहा है।

महिलाओं की आत्मनिर्भर बनकर अपने हक के लिये लड़ना होगा तभी समाज में उचित स्थान मिल सकेगा। अन्याय के खिलाफ खड़े होना गलत नहीं है अन्याय सहना गलत है। उत्पीड़न का शिकार वही महिलायें होती हैं जो अन्याय सहती हैं। विश्व भर में प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ करोड़ लड़कियां उत्पीड़न का शिकार होती हैं। समाज में कभी दहेज के लिये उत्पीड़न होता है तो कभी घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं। छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इन सबको रोकने के लिए जागरुकता एवं आत्मनिर्भर बनना होगा। महिलाओं की रचनात्मकता निसंदेह पुरुषों से अधिक होती है, बस उसे प्रोत्साहन और सहयोग के जरिये स्वस्थ समाज के निर्माण में उपयोग लाना होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरुक करना होगा।

आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति अपने लिये बेहतर जीवन बना सकता है, यही नियम महिलाओं के लिये भी है। बदलते दौर और बढ़ती मंहगाई में बेहतर जीवन के लिये यह जरूरी है कि घर का प्रत्येक सक्षम सदस्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। महिला आर्थिक रू‍प से आत्मनिर्भर होती है तो वो बेहतर तरीके से अपने परिवार को सपोर्ट कर पाती है। आज क भौतिक सुख सुविधा युक्त जीवन शैली में एक व्यक्ति के वेतन या कमाने से गृहस्थी चलाना आसान नहीं होता इसमें महिला की आर्थिक आत्मनिर्भरता घर खर्च को आसान बना देती है जिससे परिवार में शान्ति और खुशी का वातावरण बना होता है। खुद की कमाई के कारण अपने या घर के छोटे–मोटे खर्चों हेतु पराश्रित नहीं रहना पड़ता। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं को घर परिवार और समाज में भी सम्मान प्राप्त होता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर किसी भी अन्यायय के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं। सक्षम महिलाओं में आत्मविश्वास होता है और जीवन के रह क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस होता है और वो अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। अतः यह कहना उचित ही होगा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला अपने प्रति होने वाले अन्याय का तिरस्कार तो करेगी ही साथ ही अपने परिवार और समाज को खुशहाली के रास्ते भी प्रदान करेगी।

लैंगिक दुर्व्यवहार– विश्व के अन्य देशों में लैंगिक दुर्व्यवहार को हिंसा के सर्वाधिक बर्बर रूप की संज्ञा दी गयी है। भारत में इसे मानवाधिकार का उल्लंघन तथा लिंग आधारित विभेद बताया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार बलपूर्वक शारीरिक सम्पर्क बनाना, शारीरिक संबधं स्थापित करने हेतु आग्रह या मांग, अपशब्द का प्रयोग, अश्लील चित्र या फिल्म दिखाना, कोई भी शारीरिक, शाब्दिक या अशाब्दिक अश्लील हरकतें लैंगिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आयेगा। लैंगिक दुर्व्यवहार की सर्वाधिक घटनाएँ राजधानी दिल्ली में दर्ज की गई हैं। इस तरह के हिंसक दुव्यर्वहार को रोकने में सबसे बड़ी चुनौती बनकर आती है– हमारी परंपरायें और पितृसतात्मक परिवार । इसके लिए जरूरी है पुरूष और महिला के दृष्टिकोण में बदलाव की तथा कानून लागू करने वाली संस्था तथा संबंधित व्यक्ति के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों के जागरूकता की।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

घरेलू हिसां :– घरेलू हिंसा का संबंध कौटम्बिक गृह में रहने वाली किसी भी महिला सदस्य के खिलाफ होने वाले शारीरिक एवं मानसिक हिसां से संबधित है। घरेलू संबधं में विवाह तथा रक्त संबंधी सदस्य को सम्मिलित किया गया है '' 2005 के घरेलू हिसां से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में मानसिक लैंगिक, मौखिक, भावात्मक एवं आर्थिकहिंसा को भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही बिना विवाह के किसी पुरूष के साथ रह रही महिला, विधवा तथा अकेले जीवन व्यतीत कर रही महिलाओं को भी इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है।''

महिलाओं को इतने अधिक अधिकार और संरक्षण दिये जाने के बाद भी महिलाओं पर शोषण एवं अत्याचार जारी है। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात भले ही कहते रहें पर वास्तविकता कुछ और है म.प्र. के ही ''एक गाँव में गोकुल ग्राम योजना के अन्तर्गत जब दलित आदिवासी महिलाएँ अपनी संगठित ताकत और जागृति के बल पर गाँव के वास्तविक विकास के बारे में सवाल लेकर उठ खड़ी हुई तो उन्हें अश्लील आरोप और भद्दी गालियों का सामना ही नहीं करना पड़ा, बल्कि जबाव में मारपीट जैसी हिंसा भी झेलना पड़ी'' इससे महिला सशक्तिकरण की पोल खुल गई।

घरेलू हिंसा आयु, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, लैंगिक अथवा शैक्षणिक अवरोध नहीं देखती। यह एक मिथक है कि केवल निर्धन एवं अशिक्षित ही घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। एक स्त्री जैसे ही विवाह करके अपने पति के घर में आती है, उसे अपनी पहचान खोकर एक नई जगह एवं नए लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समझौता करना पड़ता है। इसके बावजूद, उस पर लगातार नजर रखी जाती है एवं किसी भी बात को लेकर उसके दोष गिनाए जाते हैं जैसे कि अपने माता–पिता के घर से पर्याप्त धन न लाना, सही प्रकार से प्रशिक्षित न होने को लेकर आदि। अतः एक स्त्री के लिए इतने सारे लोग एक डरावना सपना बन जाते हैं उसे बार–बार डराने की कोशिश करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1 क्रावॅनिकल, ''भारत की सामाजिक समस्याएँ'' पृ. 368

2 दैनिक भास्कर, भोपाल, बुधवार 27 जून 2018, पृ. 14

3 इनाक्षी चतुर्वेदी / सीमा अग्रवाल ''महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता'' पृ. 292

4 डॉ. एस.एल. वरे, ''भारतीय इतिहास में नारी'' पृ. 295

5 मानव अधिकार पत्रिका ''2006 अंक द्वितीय, पृ. 123